भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2295
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

फार्मा पीएसयू का आधुनिकीकरण

2295. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में औषधि संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने औषधि से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को आधुनिकीकृत करने और पुनरूज्जीवित करके उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कोई योजनाएँ कार्यान्वित की हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का औषधि संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान औषधि संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों हेतु कुल बजट आवंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कम आवंटन और अल्प-व्यय के कारण क्या हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): औषध विभाग के अंतर्गत पाँच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) हैं, अर्थात् इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल), हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल), बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) ।

(ख) और (ग): आईडीपीएल, बीसीपीएल और एचएएल को क्रमशः वर्ष 1992, 1993 और 1997 में रुग्ण घोषित कर दिया गया था और इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को औपचारिक रूप से संदर्भित किया गया था। आईडीपीएल, एचएएल और बीसीपीएल के पुनरुद्धार/पुनर्वास पैकेज अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहे थे। प्रबंधन, लागत प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की कमी, क्षमता का कम उपयोग, भारी परिचालन घाटा आदि से संबंधित मुद्दों के कारण इन सीपीएसई को लगातार भारी घाटा हो रहा था। इस पृष्ठभूमि में, मंत्रिमंडल/सीसीईए ने इन सीपीएसई को बंद करने/कार्यनीतिक बिक्री को मंजूरी प्रदान की। इसके अनुसरण में, सरकार ने आईडीपीएल को बंद करने, आरडीपीएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी

राजस्थान राज्य सरकार को हस्तांतरित करने और एचएएल, केएपीएल और बीसीपीएल के संबंध में कार्यनीतिक बिक्री/विनिवेश/संपत्ति मुद्रीकरण की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

यद्यपि इन सीपीएसई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार हेतु कोई योजना लागू नहीं की गई है, फिर भी उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों और उनके वैधानिक दायित्वों को निपटाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों का विवरण अनुलग्नक में विस्तृत रूप से दिया गया है।

(घ) और (ङ): पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में आईडीपीएल को बंद करने के लिए इसे प्रदान किए गए बजटीय आबंटन और व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

	बजटीय आबंटन			**व्यय**		
वित्तीय वर्ष	**ऋण**	**अनुदान**	**कुल**	**ऋण**	**अनुदान**	**कुल**
2022-23	4.00	0	4.00	2.11	0	2.11
2023-24	0	356.44	356.44	0	356.44	356.44
2024-25	39.00	0	39.00	39.00	0	39.00
2025-26 (दिनांक 11.12.2025 की स्थिति के अनुसार)	0	0	0	0	0	0
कुल	**43.00**	**356.44**	**399.44**	**41.11**	**356.44**	**397.55**

उपर्युक्त वर्षों के दौरान अन्य सीपीएसई को कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। उनके बंद होने/कार्यनीतिक बिक्री के संबंध में लिए गए निर्णयों के कारण बजटीय आबंटन कम रहा है। बजटीय आबंटन की तुलना में व्यय लगभग पूर्ण (99.52%) रहा है।

“फार्मा पीएसयू का आधुनिकीकरण” के संबंध में श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2295 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के संबंध में अनुलग्नक

औषध विभाग के अंतर्गत आने वाले औषध सीपीएसई द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए किए गए उपाय और उनके द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों को निपटाने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम।

बीसीपीएल, केएपीएल और एचएएल ने आवश्यक दवाओं की उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें विनिर्माण सुविधाओं का उन्नयन, उत्पादन लाइनों का संवर्धन और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। इसके साथ ही, उन्होंने औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-एम के तहत उत्तम विनिर्माण पद्धतियों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहल की है। उन्होंने विपणन और वितरण नेटवर्क को भी सशक्त किया है और क्षमता के बेहतर उपयोग और आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय उपलब्धता में निरंतर योगदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य खरीद एजेंसियों के साथ समन्वय में सुधार किया है।

सुधारात्मक कदमों में एचएएल की लंबे समय से लंबित वैधानिक देनदारियों का निपटारा शामिल है:

(i) एचएएल पर भारतीय रेलवे के प्रति ₹2.28 करोड़ (मूलधन और ब्याज) की देनदारी थी, जो एचएएल में रेलवे साइडिंग सुविधाओं के लिए थी, जिसका निपटारा केवल ₹15 लाख की मूल राशि के भुगतान के माध्यम से किया गया है।

(ii) वर्ष 2015 तक एचएएल को दी गई सेवाओं के लिए सीआईएसएफ के प्रति एचएएल की 10 करोड़ रुपये से अधिक (मूलधन और ब्याज सहित) की देनदारी थी। इस देनदारी का निपटारा केवल मूलधन राशि, अर्थात ₹2.81 करोड़ के भुगतान के माध्यम से किया गया है।

(iii) बिक्री कर/वैट बकाया के निपटान के लिए एक माफी योजना थी। एचएएल ने इस योजना का उपयोग करते हुए बिक्री कर/वैट के ₹1.78 करोड़ के लंबित कर बकाया का निपटान किया है।

(iv) बॉम्बे सेल्स टैक्स (बीएसटी) और सीएसटी के लंबित बकाया के निपटान के लिए एक और माफी योजना थी। बीएसटी/सीएसटी के लिए एचएएल की कुल देनदारी ₹87.82 करोड़ थी, जिसका निपटान ₹7.16 करोड़ पर किया गया है।

*****